



चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनांक 14.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा (थाना पहाड़ी द्वारा न्यू आदर्श विद्या ज्ञान मंदिर स्कूल में, थाना सरधुवा द्वारा ग्राम पनौती मोड में, थाना भरतकूप द्वारा प्राथमिक विद्यालय कस्बा भरतकूप में, थाना राजापुर द्वारा थाना परिसर राजापुर में, थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी एवं दीपू कोलान में, थाना बहिलपुरवा द्वारा रामवती विद्यालय में, थाना कोतवाली कर्वी द्वारा धनुष चौराहा पर) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकूट पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2026 के तहत व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 13.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा ग्राम चंद्रा मारा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बकटा बुजुर्ग में, कस्बा राजापुर, शारदा आदर्श इंटर कॉलेज में, कस्बा बगरेही, थाना बरगढ़ द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बरगढ़ में साइबर जागरूकता का नियमित अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट एवं मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, CVV एवं OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें।

एटीएम का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति की सहायता न लें।

बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, मैसेज एवं लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें। डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सावधान रहें। पुलिस अथवा कोई सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पूछताछ के नाम पर आपको घर में कैद रहने या पैसे भेजने के लिए बाध्य नहीं करता।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी आदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन, ई-मेल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।

बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, दीपावली ऑफर, KBC अथवा अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगने वालों से सावधान रहें।

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer अथवा किसी अन्य रिमोट एक्सेस एप को मोबाइल में इंस्टॉल न करें।

टेलीग्राम/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ट्रेडिंग, गेमिंग अथवा निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले लिंक एवं APK फाइलों से सावधान रहें। अनजान लिंक से कोई एप डाउनलोड न करें।

कम समय में पैसा दोगुना करने, क्रिप्टोकॉर्सेसी में निवेश कर अत्यधिक रिटर्न दिलाने अथवा घर बैठे अधिक कमाई कराने वाली संदिग्ध योजनाओं के लालच में न आएं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि एवं वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक रूप से साझा न करें।

पुलिस/साइबर अधिकारी बनकर यदि कोई व्यक्ति फोन कर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण आदि का मामला बताकर अथवा आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर पैसे की मांग करे तो घबराएं नहीं और किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।

किसी भी संदिग्ध लिंक, QR कोड या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज न करें।

ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं आधिकारिक एप का ही प्रयोग करें।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से प्राप्त वीडियो कॉल, फोटो एवं लिंक को स्वीकार/ओपन करने में सावधानी बरतें।

अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट में मजबूत पासवर्ड एवं जहां संभव हो Two-Factor Authentication (2FA) का प्रयोग करें।

साइबर ठगी होने पर तत्काल करें शिकायत

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, साइबर ठगी या किसी अन्य प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

साथ ही साइबर अपराध की शिकायत <https://www.cybercrime.gov.in> पर भी दर्ज की जा सकती है। ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना दें।

(3). आज दिनांक 14.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा उपनिरीक्षक पद से निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले यातायात उपनिरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें निरीक्षक पद पर अलंकृत किया गया तथा मन लगन से ड्यूटी करने हेतु बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.10.2026 को वादी बच्चा प्रसाद पुत्र स्व० रामसिया निवासी कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने थाना कर्वी पर तहरीर दी गयी कि उन्होंने अपनी पुत्री गीता देवी का विवाह लालबाबू पुत्र श्रीपाल निवासी रेहुटिया थाना कोत० कर्वी के साथ वर्ष 2021 में की थी। दिनांक 14.08.2026 को गीता देवी के पति लालबाबू व ससुरालीजन द्वारा धमकी दी गयी कि अपने बाप से पैसे मांग कर ले आओं नहीं तो जान से मार देंगे जिस कारण दिनांक 14.08.2026 को रात्रि 09.00 बजे वादी की पुत्री गीता देवी ट्रेन की पटरी खोह पर जाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध थाना कोतवाली कर्वी पर मु०अ०सं० 620/2026 धारा 80(2)/85/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.पति लालबाबू 2.ससुर श्रीपाल 3.सास श्रीमती श्रीदेवी 4.देवर राजा निवासीगण ग्राम रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई थी।

आज दिनांक 14.10.2026 को उ०नि० श्री इन्द्रजीत गौतम एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त 1. लालबाबू पुत्र श्रीपाल उम्र करीब 26 वर्ष 2.श्रीपाल पुत्र स्व० छोटा उम्र करीब 52 वर्ष निवासीगण ग्राम रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

- 1.उ०नि० श्री इन्द्रजीत गौतम
- 2.का० मोहित कुमार
- 3.का० दिलीप कुमार पाण्डेय
- 4.का० राहुल पुरी
- 5.का० अनिल कुमार

(5). आज दिनांक 14.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में, नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक मिशन शक्ति श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्रीमती करिश्मा गुप्ता की उपस्थिति में मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों एवं एन.सी.सी. की महिला कैडेट्स द्वारा यातायात संचालन के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात के नेतृत्व में महिला थाना एवं थाना कोतवाली कर्वी की पुलिस टीम तथा एन.सी.सी. की महिला कैडेट्स द्वारा धनुष चौराहा पर यातायात संचालन किया गया। जिसमें आमजन को विभिन्न यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया।

1. दो-पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना।
2. कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना।
3. कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनना।
4. वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करना तथा कोई SMS नहीं भेजना व देखना।
5. हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना तथा अपने परिजनों से पालन करने हेतु बताना।
6. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहना।

साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं, हेलपलाइन नंबरों एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति अभियान के प्रमुख उद्देश्य एवं गतिविधियां—

1. जन-जागरूकता एवं शिकायतों का निस्तारण: स्कूलों, कॉलेजों, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, गांवों, मोहल्लों, वार्डों, निम्न आय वर्ग की बस्तियों, प्रमुख बाजारों एवं चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में जानकारी देना।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका: महिला बीट पुलिसकर्मियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करना, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताना तथा महिला संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना।

3. आत्मरक्षा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा: महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा गुड टच-बैड टच के संबंध में जानकारी देकर उन्हें किसी भी अप्रिय स्थिति में सतर्क एवं सजग रहने के लिए प्रेरित करना।

महिला सुरक्षा एवं सहायता हेतु महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – महिला हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस सेवा

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन

www.cybercrime.gov.in – साइबर अपराध संबंधी शिकायत दर्ज करने हेतु आधिकारिक पोर्टल

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को अवगत कराया गया कि जनपद के समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित हैं, जहां महिला पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं की शिकायतें सुनकर उनके समयबद्ध निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। हेल्पलाइन नंबरों से संबंधित पंपलेट वितरित कर उन्हें इन सेवाओं का निःसंकोच एवं निर्भीक होकर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने, आत्मनिर्भर बनने तथा अपने कार्यक्षेत्र में निर्भीक होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी एवं गोपनीयता सुरक्षित रखने के संबंध में भी आवश्यक सुझाव दिए गए।

इसी क्रम में जनपद में गठित एंटी रोमियो स्कॉड की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत निगरानी एवं चेकिंग की जाती है। इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ अथवा अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक पूछताछ एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

चित्रकूट पुलिस की अपील: महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अथवा आपात स्थिति में संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

(6). आज दिनांक 14.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह की उपस्थिति में फायर स्टेशन चित्रकूट एवं थाना साइबर क्राइम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा फायर स्टेशन में अग्निशमन वाहनों, अग्निशमन उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके रख-रखाव का जायजा लिया गया। साथ ही अग्निशमन कर्मियों की ड्यूटी, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया एवं अग्निकांड की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात थाना साइबर क्राइम का निरीक्षण करते हुए साइबर अपराध से संबंधित प्रार्थना पत्रों, पंजीकृत अभियोगों की विवेचना, लंबित प्रकरणों के निस्तारण एवं अभिलेखों के रख-रखाव की समीक्षा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने, पीड़ितों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा लंबित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ करने तथा जनसामान्य को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(7). मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्रीमती करिश्मा गुप्ता एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह की उपस्थिति में वन स्टॉप सेंटर, चित्रकूट का भ्रमण किया गया।

भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं, पीड़िताओं को दी जा रही सुविधाओं, परामर्श, विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता एवं आवासीय व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा सेंटर में आश्रय ले रही पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर उनका कुशल-क्षेम जाना गया तथा उन्हें स्वल्पाहार, दीपावली पर्व से संबंधित सामग्री एवं उपहार वितरित किये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी संरक्षण एवं नारी स्वावलंबन के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकूट पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2026 के तहत व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 14.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा थाना परिसर राजापुर, न्यू आदर्श विद्या ज्ञान मंदिर स्कूल पहाड़ी, सरधुवा थाना परिसर, रामाबती विद्यालय मडैन-बहिलपुरवा, मानिकपुर कस्बा, धनुश चौराहा, उच्च प्राथमिक विद्यालय भरतकूप, सोसाइटी भवन कोलमजरा बरगढ, कस्बा रैपुरा, ग्राम सुरौंदा मऊ, साइबर थाना-एचडीएफसी बैंक में साइबर जागरूकता का नियमित अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट एवं मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, CVV एवं OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें।

एटीएम का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति की सहायता न लें।

बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, मैसेज एवं लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें।

डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सावधान रहें। पुलिस अथवा कोई सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पूछताछ के नाम पर आपको घर में कैद रहने या पैसे भेजने के लिए बाध्य नहीं करता।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी आदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन, ई-मेल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।

बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, दीपावली ऑफर, KBC अथवा अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगने वालों से सावधान रहें।

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer अथवा किसी अन्य रिमोट एक्सेस एप को मोबाइल में इंस्टॉल न करें।

टेलीग्राम/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ट्रेडिंग, गेमिंग अथवा निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले लिंक एवं APK फाइलों से सावधान रहें। अनजान लिंक से कोई एप डाउनलोड न करें।

कम समय में पैसा दोगुना करने, क्रिप्टोकॉरेंसी में निवेश कर अत्यधिक रिटर्न दिलाने अथवा घर बैठे अधिक कमाई कराने वाली संदिग्ध योजनाओं के लालच में न आएं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि एवं वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक रूप से साझा न करें।

पुलिस/साइबर अधिकारी बनकर यदि कोई व्यक्ति फोन कर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण आदि का मामला बताकर अथवा आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर पैसे की मांग करे तो घबराएं नहीं और किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।

किसी भी संदिग्ध लिंक, QR कोड या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज न करें।

ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं आधिकारिक एप का ही प्रयोग करें।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से प्राप्त वीडियो कॉल, फोटो एवं लिंक को स्वीकार/ओपन करने में सावधानी बरतें।

अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट में मजबूत पासवर्ड एवं जहां संभव हो Two-Factor Authentication (2FA) का प्रयोग करें।

साइबर ठगी होने पर तत्काल करें शिकायत

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, साइबर ठगी या किसी अन्य प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

साथ ही साइबर अपराध की शिकायत <https://www.cybercrime.gov.in> पर भी दर्ज की जा सकती है। ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना दें।

(9). पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले , 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्तों की निशानदेही पर कुल बरामदगी -

* 01 अदद चेचिस कटी हुई

- * 01 अदद साइलेन्सर
- * 02 अदद रिम
- * 02 अदद शॉकर अगला पहिया
- * 02 अदद शॉकर पिछला पहिया
- * 01 अदद नम्बर प्लेट रियर
- * 01 अदद मोटर साइकिल की सीट
- * 01 अदद हेडलाइट
- * 02 अदद पार्ट्स
- * 01 अदद चेन व चेन स्प्रोकेट
- * 01 अदद मोटर साइकिल का इंजन व चेचिस प्लेट
- * मोटर साइकिल के अन्य पार्ट्स

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 08.10.2026 को वादी जयनाथ मिश्र पुत्र जागेश्वर प्रसाद मिश्र निवासी खुमानी पुरवा मजरा टोन्हा थाना कर्वी ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी मोटरसाइकिल UP96 B0489 जो तहसील परिसर चेम्बर नं0 8 के सामने खड़ी थी, अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना कर्वी पर मु0अ0सं0 619/2026 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आज दिनांक 14.10.2026 को उ0नि0 राम अवतार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम -1. घनश्याम निषाद पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कमासी मजरा आमापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट2. बाल अपचारी बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त घनश्याम द्वारा बताया कि वह चोरी की मोटरसाइकिल को काटकर उसके पार्ट्स बेच देते हैं। उनके पास रखी प्लास्टिक की बोरी को खोलकर देखा गया तो उसमें कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स मिले।

पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर दिनांक 09.10.2026 को तहसील परिसर कर्वी से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी उसे कटवा दिया था। कुछ सामान बेच दिया और बाकी बचा सामान आज बेचने जा रहे थे। यह भी बताया कि दिनांक 03.10.2026 को बांदा कचहरी से मोटरसाइकिल नं0 UP90J8130 और दिनांक 08.10.2026 को गल्ला मंडी कर्वी से मोटरसाइकिल नं0 UP96N5957 भी चोरी की थी। चोरी के माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 राम अवतार यादव
2. का0 इन्द्रेश यादव
3. का0 इंदल